जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-10.05.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 02 मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 07.05.2025 को वादी श्री धीरज गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी मौहल्ला आर्यपुरी शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP 19B 7176 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत सीबी गुप्ता कालोनी से अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में तथा दिनांक 10.05.2025 को वादी श्री अनीस अंसारी पुत्र मंजूर हसन निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी की मोटर साइकिल रजि0न0 UP 19B 0811 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत से अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई थी । दखिला तहरीरों के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे ।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर को चोरी की गयी 02 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शंकर पुत्र देश पाल गाँव सिम्भालका थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

2.सूरज पुत्र मिन्टू गाँव सिम्भालका थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल स्प्लैण्डर प्रो रजि0न0 UP 19B 0811 ।

2.चोरी की गयी मोटर साईकिल स्पलैण्डर रजि0 न0 UP 19B 7176 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 खूब सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

2.उ0नि0 बाबूराम सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

3.है0का0 मोतीलाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

4.है0का0 विकास पूनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

5.का0 मयन कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने व धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 03.05.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत वादिया ने अभियुक्तगण द्वारा वादिया को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने, जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये धर्मांतरण का दबाव बनाने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी । दाखिल तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत थाना झिंझाना पुलिस को अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में दिनाँक 10.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने, जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । घटना में लिप्त 02 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है । अन्य अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अफजाल पुत्र अलीजान निवासी ग्राम भरतपुरी/भड़ी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2.है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3.है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

4.है0का0 मनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तीतरवाडा में जानलेवा हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद ।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 09.05.2025 को श्रीमती सजीला पत्नी इलयास निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर कर जानलेवा हमला किया गया था । घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनाँक 10.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तीतरवाडा में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर कर जानलेवा हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.नौमान उर्फ सरवेज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में अवैध तमंचा 315 बोर मय एक नाल मे फसा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राकेश कुमार गौतम थाना कैराना जनपद शामली ।

2.का0 अंकित चौधरी थाना कैराना जनपद शामली ।

3.का0 पवनीश कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

4.का0 अनिल कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामले में लोक अदालत द्वारा 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा 900/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित व 05 अलग अलग अधिनियम में 3046 वादों का निस्तारण किया गया ।

1.-वर्ष 2019 में अभियुक्त अमरीश पुत्र कैलाश चन्द निवासी भाज्जू थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 354/2019 धारा 278/188 भादवि अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 10.05.2025 को माननीय न्यायालय शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

2.-वर्ष 2019 में अभियुक्त ऋषिपाल पुत्र गिरवर निवासी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 849/2019 धारा 278 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 10.05.2025 को माननीय न्यायालय शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

3.-वर्ष 2023 में अभियुक्त इकराम पुत्र इरशाद निवासी टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 171/2023 धारा 13जी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 10.05.2025 को माननीय न्यायालय शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

4.- धारा 34 पुलिस अधिनियम में 425 वादो का निस्तारण किया गया ।

5.- रेलवे पुलिस अधिनियम में 34 वादो का निस्ताराण किया गया ।

6.- बालश्रम अधिनियम में 03 वादो का निस्तारण किया गया ।

7.- एनआई एक्ट में 02 वाद का निस्तारण किया गया ।

8.- ई- चलान एम0वी0 एक्ट में 2582 वादों का निस्तारण किया गया ।